न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, डीडवाना(नागौर)
पीठासीन अधिकारी : रिछपाल सिंह बुरड़क, आर०ए०एस०

अपील संख्या 52/2019

1–गोपाल कृष्ण पुत्र बालचन्द उर्फ बालकिशन
2–दिलीप कुमार पुत्र गौरीशंकर
जातिगण महाजन निवासी कलकता हाल निवासी नांवा, तहसील नांवा, जिला नागौर राज0
.....अपीलान्ट

बनाम

1.–पटवारी हल्का नावां, तहसील नावां जिला नागौर

.....रेस्पोडेन्ट

उपस्थित अधिवक्ता–

1–श्री अजीत सिंह राठौड़, श्री वी.पी.सिंह राठौड़ व नेमीचन्द शर्मा अधिवक्तागण अपीलान्ट की ओर से ।

अपील विरूद्ध निर्णय द्वारा पीठासीन अधिकारी ओम प्रकाश शर्मा तहसीलदार बअनुवान सरकार जरिये पटवारी हलका, नांवा बनाम गोपाल कृष्ण वगै0 मु0सं0 38/19 निर्णय दिनांक : 03.06.2019 अन्तर्गत धारा 91 एल.आर.एक्ट का निरस्त करने बाबत।

अन्तर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट

निर्णय

दिनांक :18.01.2021

{1} –मामलें के सक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने यह अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार नांवा द्वारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण संख्या 38/2019 सरकार बनाम गोपाल कृष्ण वगै0 में निर्णय दिनांक 05.07.2019के तहत मौजा ग्राम सांभर झील नावां के खसरा नं0 01 रकबा 0.80 हैक्टर किस्म गै0मु0 झील भूमि पर नमक क्यार व टूयूबबैल बनाकर व पूर्व में भी सम्वत 2074 में अतिक्रमण करने पर अप्रार्थी के खिलाफ भौतिक रूप से बेदखली व शास्ति तथा पश्चातवर्ती अतिक्रमण करने का दोषी होने से निर्णय से असन्तुष्ट होकर दिनांक 10.07.2019 को अप्रार्थी द्वारा अपील प्रस्तुत की गयी। अपीलान्ट की अपील दिनांक 10.07.2019 को दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया । अधिनस्थ न्यायालय का रिकोर्ड मंगाया गया। अपीलान्ट द्वारा अपनी अपील के समर्थन में विक्रय पत्र की फोटो प्रति, अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय 03.06.2019 की फोटोप्रति, अधिनस्थ न्यायालय के प्रकरण संख्या 38/2019 सरकार बनाम गोपाल

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

कृष्ण वगै0 के फर्द अहकाम दिनांक 17.06.2019 से 05.07.2019 की फोटोप्रति,पटवारी हल्का नावां की रिपोर्ट की फोटोप्रति,, फर्द बेदखली की फोटोप्रति, नोटिस की फोटोप्रति, गिरफतारी वारण्ट की फोटोप्रति, पेश की गयी।

{2} –वकील अपीलान्ट की बहस सुनी गयी। वकील अपीलान्ट ने अपनी अपील के तथ्यो को दोहराते हुए तर्क दिया है कि:–

{2}(1) –यह है कि योग्य अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं दण्डादेश अधीन अपील कानून के प्रतिपादित सिद्धान्तों के विपरीत होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

{2}(2) –यह है कि अपीलार्थी के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 17.06.2019 को जारी नोटिस दिनांक 02.07.2019 की पेशी हेतु जारी किया गया । उक्त नोटिस अपीलार्थी को कभी नहीं मिला एवं उक्त नोटिस पर अपीलार्थी का स्थायी पता ग्राम नांवा तहसील नांवा पर जारी किया गया नोटिस की तामिल आबाद मकान पर चस्पानगी में बताया गया ।

{2}(3) – यह है क उक्त नोटिस पर दो मोतबीरान कानाराम पुत्र हनुमान जाति जाट निवासी नांवा के होना बताया गया हे, जबकि अपीलार्थी के गांव में करीब 10–15 किमी दूर के व्यक्ति है। उक्त नोटिस चस्पानगी भी कानून के विरूद्ध जाकर करवाये है। जिससे अपील स्वीकार की जाने योग्य है।

{2}(4) – यह है कि अपीलार्थी को उक्त प्रकरण की जानकारी कभी भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रोपर तरीके से नहीं दी गई एवंम न ही अपीलार्थी को उक्त प्रकरण की लेस मात्र जानकारी ही थी। अपीलार्थी को उक्त प्रकरण की जानकारी दैनिक अखबार द्वारा दिनांक 06.07.2019 को ही प्राप्त हुई। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय में पत्रावली की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने पर उक्त आलौच्य निर्णय की जानकारी हुई। अधीनस्थ न्यायालय ने कानून को ताक में रखकर केवल राजनैतिक द्वैषता वशं निर्णय किया है, जो काबीले निरस्त है।

{2}(5) – यह है कि अपीलार्थी ने तत्कालीन खातेदार श्रवण कुमार के नाम खसरा नम्बर 81 रकबा 2.67 हैक्टेयर भूमि को जरिये पंजिकृत विक्रय पत्र के खरीद की एवं अपीलार्थी के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज हो गई, वर्तमान समय में खसरा नम्बर 81 की भूमि केवल मात्र दिलीप कुमार के ही नाम से जरिये विक्रय पत्र दिनांक 13.08.2018 के खरीद की हुई है। उक्त भूमि से संबंधित समस्त दस्तावेजात अपील के साथ पेश है।

{2}(6) – यह है कि अपीलार्थीगण के नाम जितनी भूमि की लीजडीड जारी की हुई है, उससे अधिक या कसी भी सरकारी भूमि पर एक ईन्च भूमि पर अतिकमण नहीं कर रखा है। मौके पर अपीलार्थी का आज भी संबंधित कार्यालय में जारी नक्शा के अनुसार ही आज भी है। मगर अपीलार्थी को अधीनस्थ न्यायालय ने बिना जानकारी व बिना किसी विधिक कार्यवाही किये ही एक पक्षीय निर्णय कर दिया, जिससे भी यह स्वीकार की जाने योग्य है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

{2}(7) – यह है कि अपीलार्थीगण को उक्त प्ररकण के अलावा सम्वत् 2074 या कभी अतिक्रमण बाबत न तो नोटिस ही दिया, न ही अपीलार्थी ने कसी सरकारी भूमि पर ही अतिक्रमण किया था या है एवं पश्चातवर्ती निर्णय की पत्रावली भी उक्त पत्रावली के साथ संलग्न नहीं है। इसलिए अपीलार्थी पश्चातवर्ती अतिक्रमण की श्रैणी में नहीं आता है एवं उक्त प्रकरण संबंधि कोई भी दस्तावेज उक्त पत्रावली में भी नहीं है। जिससे भी यह अपील स्वीकार की जाने योग्य है।

{2}(8) – यह है कि उक्त प्रकरण में पत्रावली में कभी भी बहस हेतु नियत नही की गयी एवं ऑडरशीट में बहस अन्तिम कभी भी नहीं लिखा हुआ है।जिससे स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने राजनैतिक द्वेषता वंश उक्त निर्णय किया जो काबिले निरस्त है।

{3} – बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकोर्ड का अवलोकन किया गया। पटवारी हल्का नांवा की रिपोर्ट, जिसकी जॉच भ0अ0निरीक्षक नावां द्वारा कि गयी, जिसके अनुसार अप्रार्थी ग्राम नावां के खसरा नम्बर 1 रकबा 0.80 हैक्टर किस्म गै0मु0 झील पर नमक क्यार, व ट्यूबवैल बनाकर अतिक्रमण किया है । सम्वत 2076 से अतिक्रमण किया हुआ है उक्त गै0मु0 झील सरकारी भूमि पर अप्रार्थी का अतिक्रमण किया जाना अभिलेख से पाया गयां आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को विधिवत नोटिस दिया गया है। अपीलान्ट का अधीनस्थ न्यायालय में नोटिस बाद तामील होने के उपरान्त भी अनुपस्थित होना अभिलेख से साबित होता है। उक्त गै0मु0 झील सरकारी भूमि है जिस पर किसी व्यक्ति द्वारा कब्जा किया जाना कानूनन अपराध की श्रेणी में आता है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि सम्मत होने से इसमें कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतित नही होता है।

:::: आ दे श ::::

अपीलान्ट की अपील पर सहानुभुति पूर्वक विचार किया जाकर अधिनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 05.07.2019 में दी गयी 3 माह की सिविल कारावास की सजा निरस्त करते हुवे अधिनस्थ न्यायालय का बेदखली एवं जुर्माना का आदेश यथावत रखा जाता है।

(रिछपाल सिंह बुरड़क)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनांक 18.01.2021 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रिछपाल सिंह बुरड़क)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना (नागौर)